न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

निर्वाचन अपील सं. 35 / 2020

अपीलांट्स–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
1. चम्पाराम पुत्र दमाराम 2. मूलीदेवी पत्नी चम्पाराम 3. खुमाराम पुत्र दमाराम 4. कमलादेवी पत्नी खुमाराम जाति जाट निवासी आदर्श महाबार ग्रा.पं. महाबार तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बाड़मेर

निर्वाचन अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक : प.आ.चु./2020/2837 दिनांक 15.09.2020 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बाड़मेर जिसके तहत अपीलांट्स के नाम हटाने का पारित किया गया।

उपस्थिति :–
श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 02.03.2022

1. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आक्षेपकर्ता देवाराम, गुमानसिंह, फोटेखान एवं अन्य निवासी ग्राम महाबार तहसील बाड़मेर द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बाड़मेर के समक्ष दिनांक 06.02.2020 को प्ररूप–2 में आक्षेप प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स चम्पाराम पुत्र दमाराम, मूलीदेवी पत्नी चम्पाराम, खुमाराम पुत्र दमाराम एवं कमलादेवी पत्नी खुमाराम गांव वांकलपुरा के मूल निवा[illegible] उनकी पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी की जमीन व रह[illegible]ही स्थित हैं। उक्त सभी अपीलांट्स ने चुनावों में धांधली आदि [illegible]रने के लिए अपना [illegible]ाम पंचायत महाबार में दर्ज करवाया है। लिहाजा उक्त अपीलांट्स का नाम ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत महाबार की मतदाता सूची के वार्ड सं. 3 में क्रम संख्या 305, 306, 309 और 321 का नाम हटाया जावें। इस पर क्षेत्र के लिये नियुक्त प्रगणक द्वारा अपनी अभिशंषा एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बाड़मेर द्वारा आक्षेप स्वीकार करते हुए अपीलांट्स के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.09.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2020 की क्रियान्विति पर रोक लगाकर खारिज करने का निवेदन किया गया है।

2. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

3. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बाड़मेर द्वारा अपीलांट्स का नाम मतदाता सूची से पृथक करने के अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है तथा अपीलांट्स को अपने मत का प्रयोग करने के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया है। अपीलांट्स ग्राम पंचायत महाबार के स्थाई निवासी हैं, उनका कारोबार, रहवास व चल–अचल सम्पत्ति भी ग्राम पंचायत महाबार में ही अव[illegible] उनके परिवाजन लगातार कृषि कार्य भी करते आ र[illegible] वार्ड संख्या 3 के मतदाताओं की अंतिम प्रका[illegible].06.2020 में भी अपीलांट् का नाम क्रम संख्या 305, 306, 309 एवं 321 पर दर्ज है। अपीलांट्स एवं उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

परिवारजनों का स्थाई रूप से राजस्व गांव आदर्श महाबार है जिसके खसरा नंबर 2438/505 में वे पक्के मकान में रहवास है जिसके फोटो भी अधीनस्थ प्राधिकारी के समक्ष पेश किये गये थे। आक्षेपकर्ताओं ने राजनैतिक द्वेषभावना से उनका नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बाड़मेर के समक्ष दिनांक 06.02.2020 को आक्षेप प्रस्तुत किया है जिस पर सक्षम अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट चम्पाराम के भामाशाह/जन आधार कार्ड में मूल ग्राम विशनपुरा ग्राम पंचायत वांकलपुरा होने का हवाला दिया गया है, इस संदर्भ में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वांकलपुरा हाल ही में महाबार से पृथक हुई नई ग्राम पंचायत है लेकिन अपीलांट्स स्वयं अपना नाम ग्राम पंचायत महाबार के वार्ड संख्या 3 की मतदाता सूची में ही रखना चाहते हैं। अपीलाधीन आदेश में हलका भू–अभिलेख निरीक्षक व बीएलओ की रिपोर्ट का भी हवाला देकर अपीलांट्स की नोटिस तामीली का पता बाड़मेर शहर में शास्त्री नगर बताया है जो गलत है। वास्तविकता यह है कि अपीलांट चम्पाराम अपने व्यवसाय हेतु किसान टेन्ट हाउस का संचालन करता है जो कि कैलाश इण्टरनेशनल होटल के पास स्थित है लिहाजा अपीलांट्स ने नोटिस तामीली अपने कार्यस्थल पर करवाई है, इससे किसी के स्थाई अथवा अस्थाई रहवास का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 में मतदाता सूची में अतंरीम परिवर्तन की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हैं कि किसी व्यक्ति के मामूली तौर पर अपना निवास स्थान बदल दिया है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या अन्य किसी कारण से उस मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है तो इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये [illegible] विशेष निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए उस प्रविष्टि को [illegible] निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में [illegible] जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाई के संबंध में सुनवाई करने का एक युक्तियुक्त अवसर देगा, लेकिन अपीलांट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

का नाम मतदाता सूची से पृथक करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ प्राधिकारी ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब व अन्य तथ्यों को दरकिनार कर पंचायतीराज नियमों के बाध्यकारी प्रावधानों को ताक पर रखकर अविधिक रूप से अपीलांट्स के नाम मतदाता सूची से हटाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2020 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाये जावें एवं अपीलांट्स के नाम ग्राम पंचायत महाबार की मतदाता सूची मे यथावत रखे जाने का आदेश फरमावें।

4. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बाड़मेर का मूल अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि आक्षेपकर्ता देवाराम, गुमानसिंह, फोटेखान एवं अन्य निवासी ग्राम महाबार तहसील बाड़मेर द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बाड़मेर के समक्ष दिनांक 06.02.2020 को आक्षेप प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स चम्पाराम पुत्र दमाराम, मूलीदेवी पत्नी चम्पाराम, खुमाराम पुत्र दमाराम एवं कमलादेवी पत्नी खुमाराम गांव वांकलपुरा के मूल निवासी हैं तथा उनकी पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी की जमीन व रहवासी ढ़ाणियां ग्राम वांकलपुरा में ही स्थित हैं। उक्त सभी अपीलांट्स ने चुनावों में धांधली आदि करने के लिए अपना नाम ग्राम पंचायत महाबार में दर्ज करवाया है। लिहाजा उक्त अपीलांट्स का नाम ग्राम पंचायत महाबार की मतदाता सूची के वार्ड सं. 3 में क्रम संख्या 305, 306, 309 और 321 का नाम हटाया जावें। इस पर क्षेत्र के लिये नियुक्त प्रगणक द्वारा अपनी अभिशंषा सहित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बाड़मेर द्वारा आक्षेप स्वीकार करते हुए अपीलांट्स के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अपीलांट चम्पाराम के भामाशाह / जन आधार कार्ड में मूल ग्राम विशनपुरा ग्राम पंचायत वांकलपुरा होने का हवाला दिया गया है, इस संदर्भ में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वांकलपुरा हाल ही में महाबार से पृथक हुई नई ग्राम पंचायत है लेकिन अपीलांट्स स्वयं अपना नाम ग्राम पंचायत महाबार के वार्ड संख्या 3 की मतदाता सूची में ही रखना चाहते हैं। अपीलाधीन आदेश में हलका भू–अभिलेख निरीक्षक व बीएलओ की रिपोर्ट का भी हवाला देकर अपीलांट्स की नोटिस तामीली का पता बाड़मेर शहर में शास्त्री नगर बताया है। इस संबंध में अपीलांट चम्पाराम ने अपने व्यवसाय हेतु किसान टेन्ट हाउस का संचालन करना बताया है जो कि कैलाश इण्टरनेशनल होटल के पास स्थित है लिहाजा अपीलांट्स ने नोटिस तामीली उसके कार्यस्थल पर करवाई है, इससे किसी के स्थाई अथवा अस्थाई रहवास का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

5. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड दस्तावेजात, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, रहवासीय मकान के फोटोग्राफ इत्यादि ग्राम महाबार के पेश किये हैं जिनका अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है और न ही जांच अधिकारी द्वारा इन दस्तावेजों के बारे में अपनी रिपोर्ट कोई निष्कर्ष दिया गया है। ऐसे में केवल सरसरी कार्यवाही सम्पन्न कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स [illegible] की जाकर अधिनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजि[illegible] बाड़मेर द्वारा ग्राम पंचायत महाबार के वार्ड [illegible]05, 306, 309 और 321 के नाम विलोपित करने का अपीलाधीन आदेश [illegible]ांक 15.09.2020 अपास्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

जाता हैं तथा प्रकरण पुनः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट्स के रहवास की पुनः जांच कर उसको नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते एवं साक्ष्य सबूत अभिलेख पर लेते हुए नये सिरे से नियमानुसार आक्षेपों का निस्तारण करने की कार्यवाही करें।

7. निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:05 IST
Reason: SelfAttested